




<p>तारिख हुकम</p>	<p>हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज F.S.S.Act Case No. 25/2022</p>	<p>नम्बर व तारिख अहकाम जो इस हुकम में मिले मे</p>
<p>17.10.2022</p>	<p>पत्रावली पेश हुई। श्री रमेशचन्द्र सैनी, आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही अनुपस्थित। प्रतिवादी श्रवण सिंघल पुत्र श्री दरगाराम, जाति- मेघवाल, निवासी- बस स्टेण्ड गली, जामोतरा, तहसील व जिला- सिरोही, खाद्य कारोबारकर्ता एवं मालिक, फर्म सारणेश्वर डेयरी, राजकीय स्कूल के सामने, सामुदायिक भवन के पास, जामोतरा, तहसील व जिला- सिरोही अनुपस्थित।</p> <p>आवेदक श्री रमेशचन्द्र सैनी, खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा यह न्याय निर्णयन आवेदन प्रतिवादी के विरुद्ध तत्कालीन खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री विनोद कुमार शर्मा द्वारा दिनांक 31.10.2021 को फर्म सारणेश्वर डेयरी, राजकीय स्कूल के सामने, सामुदायिक भवन के पास, जामोतरा में प्रतिवादी श्रवण सिंघल से खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत वास्ते नमूना जांच कीमतन क्रय किये गये खाद्य पदार्थ घी का नमूना संख्या S-1546 खाद्य विश्लेषक, जोधपुर की जांच रिपोर्ट क्रमांक:L.S./876/Act/2021/ 993 दिनांक 24.12.2021 में अमानक (Sub-standard) व Presence of foreign fat पाया जाने से खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26 की उपधारा 2(ii) व धारा 50 व 51 के तहत प्रतिवादी के विरुद्ध प्रस्तुत कर प्रतिवादी पर जुर्माना आरोपित करने का अनुरोध किया गया है। प्रस्तुत न्याय निर्णयन आवेदन को दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी को विधिवत नोटिस जारी कर तामिल करवाया गया। जिस पर प्रकरण में नियत सुनवाई तिथि 14.10.2022 को प्रतिवादी श्रवण सिंघल ने इस न्यायालय में उपस्थित होकर लिखित जवाब प्रस्तुत कर जुर्म स्वीकार किया। प्रकरण में प्रतिवादी श्रवण सिंघल द्वारा जुर्म स्वीकार कर लिये जाने से प्रकरण में कोई साक्ष्य ली जाना उचित नहीं होने से प्रतिवादी को दिनांक 14.10.2022 ही सुना गया। प्रतिवादी ने अनुरोध किया कि यह उसका प्रथम अपराध है एवं भविष्य में अमानक व ऐसे खाद्य पदार्थ का विक्रय नहीं करेगा। प्रतिवादी छोटा व्यापारी है। अतः कम से कम जुर्माना करके प्रकरण का निस्तारण करावे।</p> <p>हमने सुनी गई बहस पर मनन किया एवं न्यायालय पत्रावली एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अध्ययन एवं अवलोकन किया तो यह पाया कि तत्कालीन खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री विनोद कुमार शर्मा (हाल निलम्बित) दिनांक 02.11.2021 को दौराने गश्त समय 6.00 पी. एम. पर खाद्य पदार्थों के निरीक्षण हेतु फर्म सारणेश्वर डेयरी, राजकीय स्कूल के सामने, सामुदायिक भवन के पास, जामोतरा, तहसील व जिला- सिरोही पर गये। वहां पर खाद्य कारोबारकर्ता व मालिक की हैसियत से प्रतिवादी श्रवण सिंघल पुत्र श्री दरगाराम, जाति- मेघवाल, निवासी- बस स्टेण्ड गली, जामोतरा, तहसील व जिला- सिरोही उपस्थित मिले, जो आम जनता को खाद्य पदार्थ घी बेचता है। तत्कालीन खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री विनोद कुमार शर्मा द्वारा डेयरी के निरीक्षण के दौरान आम जनता के उपयोग में आने वाले खाद्य पदार्थ घी के अमानक होने का शक होने पर खाद्य सुरक्षा एवं मानक</p> <p>....लगातार</p>	



Handwritten signature and stamp at the bottom of the page.

<p>तारिख हुकम</p>	<p>हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज F.S.S.Act Case No. 25/2022</p>	<p>नम्बर व तारिख अहकाम जो इस हुकम कोतामिल में जाती हुए</p>
	<p>अधिनियम, 2006 के तहत जांच हेतु नमूना लेने की इच्छा जाहिर करते हुए इसकी सूचना मौके पर उपस्थित गवाह श्री नारायण लाल, हेड कानिस्टेबल, पुलिस थाना बरलुट व श्री विशाल सिंह, वार्ड बॉय, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिराही के समक्ष प्रपत्र 5ए में विक्रेता/खाद्य कारोबारकर्ता श्रवण सिंघल को भरकर दी व रसीद प्राप्त की। तत्कालीन खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री विनोद कुमार शर्मा ने डेयरी की निर्माण इकाई में बिक्री हेतु मौजूद घी के एक टीन कंटेनर जिसमें 165 किलोग्राम घी था को खोलकर उसमें मौजूद घी अच्छी तरह हिलामिलाकर एक रुप किया एवं इस एक रुप किये हुए घी में से 800 ग्राम घी को एक साफ, सूखे, खाली भिगोनें में खरीदा एवं उसकी कीमत राशि रुपये 400/- रुपये (अक्षरे रुपये चार सौ मात्र) विक्रेता श्रवण सिंघल को नकद अदा कर खरीद रसीद/बिल प्राप्त किया। तत्कालीन खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री विनोद कुमार शर्मा ने लेबल तैयार कर लेबल पर अभिहित अधिकारी (मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिराही) के कोड एवं क्रमांक S-1546, दिनांक, स्थान, खाद्य पदार्थ घी आदि अंकित कर उस पर खाद्य कारोबारकर्ता, गवाह के हस्ताक्षर कराये एवं तत्कालीन खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री विनोद कुमार शर्मा स्वयं ने हस्ताक्षर किये। तत्कालीन खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री विनोद कुमार शर्मा ने खरीद शुदा खाद्य पदार्थ घी को चारों अलग अलग साफ सूखी व खाली शीशीयों में बराबर बराबर मात्रा में भरकर शीशीयों को ढक्कन से एयर टाईट बन्द किया। चारों नमूना शीशीयों पर एक-एक लेबल लगाया एवं चारों नमूना शीशीयों को अलग अलग कागज में लपेट कर प्रत्येक नमूना भाग पर अभिहित अधिकारी की हस्ताक्षरयुक्त पेपर स्लिप S-1546 को नियमानुसार गोंद से चिपकाकर प्रत्येक नमूना भाग को नियमानुसार सील चपड़ी किया व प्रत्येक नमूना भाग पर विक्रेता व गवाह के हस्ताक्षर कराये व तत्कालीन खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री विनोद कुमार शर्मा स्वयं ने हस्ताक्षर किये। तत्पश्चात् चारों नमूना भागों को तत्कालीन खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री विनोद कुमार शर्मा ने कब्जे/जाप्ते में लिया तथा मौका रिपोर्ट तैयार की, जिस पर विक्रेता, गवाह व तत्कालीन खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री विनोद कुमार शर्मा के हस्ताक्षर है। तत्पश्चात् तत्कालीन खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री विनोद कुमार शर्मा ने कार्यालय में पहुँचकर फार्म नम्बर VI की प्रतियां तैयार की व उस पर नमूनें को सील करते समय काम में ली गई सील की छाप अंकित की। नमूना के चारों भागों के साथ फार्म नम्बर VI की एक-एक प्रति लगाकर चारों नमूना भागों को आउटर कवर में बंद किया व नियमानुसार सील चपड़ी किया तथा फार्म नम्बर VI की दो-दो प्रतियां दो लिफाफों में अलग-अलग बन्द कर गोंद से चिपकाकर लिफाफों को सील चपड़ी किया। तत्कालीन खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री विनोद कुमार शर्मा ने दिनांक 03.11.2021 को नमूनें का एक भाग व फार्म नम्बर 6 का एक सील बन्द लिफाफा श्री विश्वजीत, वार्ड बॉय, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिराही के द्वारा खाद्य विश्लेषक, जोधपुर को .....लगातार</p>	

अधिकारी पत्रिका  
धरौदी-307001

<p>तारिख हुक्म</p>	<p>हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज F.S.S.Act Case No. 25/2022</p>	<p>नम्बर व तारिख अहकाम जो इस हुक्म को मिला मे हए</p>
	<p>जमा करवाकर रसीद प्राप्त की एवं शेष तीन नमूना भाग व फार्म नम्बर 6 का सील बन्द लिफाफा अभिहित अधिकारी (मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरौही) को दिनांक 02.11.2021 को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की। इस प्रकार, पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि तत्कालीन खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री विनोद कुमार शर्मा द्वारा फर्म सारणेश्वर डेयरी, राजकीय स्कूल के सामने, सामुदायिक भवन के पास, जामोतरा में प्रतिवादी श्रवण सिंघल से खाद्य पदार्थ घी को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत वास्ते नमूना जांच क्रय करने की विधिवत कार्यवाही करते हुए जांच हेतु नमूने का एक भाग मय फार्म नम्बर 6 के सीलबन्द लिफाफे के खाद्य विश्लेषक, जोधपुर को जमा करवाया गया है। प्रकरण में खाद्य पदार्थ घी के नमूना संख्या S-1546 की खाद्य विश्लेषक, जोधपुर से प्राप्त जांच रिपोर्ट क्रमांक: L.S./876/Act/2021/993 दिनांक 24.12.2021 में खाद्य पदार्थ घी का नमूना संख्या S-1546 अमानक (Sub-standard) व Presence of foreign fat पाया गया है। इस प्रकार, यह स्पष्ट है कि श्रवण सिंघल पुत्र श्री दरगाराम, जाति- मेघवाल, निवासी- बस स्टेण्ड गली, जामोतरा, तहसील व जिला- सिरौही, खाद्य कारोबाकरता एवं मालिक, फर्म सारणेश्वर डेयरी, राजकीय स्कूल के सामने, सामुदायिक भवन के पास, जामोतरा, तहसील व जिला- सिरौही ने अमानक (Sub-standard) व Presence of foreign fat खाद्य पदार्थ घी का विक्रय करके खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26 की उपधारा 2(ii) का उल्लंघन किया है, जो उक्त अधिनियम की धारा 50 व 51 के तहत जुर्माने योग्य अपराध है।</p> <p>अतः खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 68 की उपधारा (1) के तहत राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक प. 1(2)कार्मिक/क-4/08 दिनांक 05.4.2012 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अमानक (Sub-standard) व Presence of foreign fat खाद्य पदार्थ घी का विक्रय करने के कारण खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा- 50 व 51 के तहत प्रतिवादी श्रवण सिंघल पुत्र श्री दरगाराम, जाति- मेघवाल, निवासी- बस स्टेण्ड गली, जामोतरा, तहसील व जिला- सिरौही, खाद्य कारोबाकरता एवं मालिक, फर्म सारणेश्वर डेयरी, राजकीय स्कूल के सामने, सामुदायिक भवन के पास, जामोतरा, तहसील व जिला- सिरौही पर राशि रुपये 1,000/- (अक्षरे रुपये एक हजार मात्र) का जुर्माना आरोपित किया जाता है। साथ ही, प्रतिवादी श्रवण सिंघल पुत्र श्री दरगाराम, जाति- मेघवाल, निवासी- बस स्टेण्ड गली, जामोतरा, तहसील व जिला- सिरौही को आदेशित किया जाता है कि उक्त आरोपित जुर्माना राशि का राष्ट्रीयकृत बैंक से न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, सिरौही के पक्ष में Crossed Demand Draft जिसका भुगतान सिरौही शहर में प्राप्त किया जा सके बनवाकर न्याय निर्णय अधिकारी एवं अति० जिला मजिस्ट्रेट, सिरौही के कार्यालय में 7 दिवस में जमा करवाये। निर्णय सुनाया गया। पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर नंबर से कम हो। निर्णय की प्रति संबंधित को प्रेषित की जावे। मिसल वास्ते जुर्माना राशि डी.डी. आयन्दा दिनांक 18.11.2022 को पेश हो।</p> <p style="text-align: center;">d (के.आर.खौड़) जिला मजिस्ट्रेट सिरौही-307001</p>	

